

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2014

संख्या-1/एल1-10-16/2013 गृ0आ0 /स्व0 श्रीधर मंडल, भा0पु0से0 (2005) तत्कालीन समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-15, बाल्मिकी नगर, बगहा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2013 से 27.01.2014 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर देय रूपांतरित अवकाश (360 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की स्वीकृति एवं अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2014 से 28.02.2014 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई 2014  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई 2014  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2013 गृ0आ0 6270 /पटना, दिनांक 25 जुलाई 2014  
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/स्व0 श्रीधर मंडल, भा0पु0से0 (2005) तत्कालीन समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-15, बाल्मिकी नगर, बगहा, पत्नी-नूतन मंडल, आशियाना नगर, फेज-1, क्वार्टर नं0-91/ए0, पटना-25 एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव।